राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–04 / 2025
जेबा जबी बनाम् एनामुल हक।

यह वाद श्रीमती जेबा जबी, पति–श्री नौसाद अहमद, पता–वार्ड संख्या–13, लिबर्टी सिनेमा के नजदीक, बेतिया नगर निगम, पोस्ट–बेतिया, थाना–बेतिया टाउन, **जिला–पश्चिम चम्पारण** द्वारा श्री एनामुल हक, पिता–स्व0 मिसबाहुल हक, पता–वार्ड संख्या–24, बेतिया नगर निगम, पोस्ट–बेतिया, थाना–बेतिया टाउन, **जिला–पश्चिम चम्पारण(वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–24, नगर निगम, बेतिया)** के विरुद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान के होने के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–24, नगर निगम, बेतिया, **जिला–पश्चिम चम्पारण** के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश कुमार एवं श्री एस0बी0के0 मंगलम द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे, श्री जगजीत रौशन एवं श्री अंजनी कुमार द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **पश्चिम चम्पारण** द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्रीमती बेबी कुमारी, वरीय उप समाहर्त्ता **पश्चिम चम्पारण(बेतिया)** एवं श्री सौरभ आलोक, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **पश्चिम चम्पारण(बेतिया)** को प्राधिकृत किया गया।

अभिलेखों के सत्यापन हेतु Father Armstrong Edison, Principal St. Xavier Higher Secondary School, Bettiah. श्री रविन्द्र कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण एवं मो0 शाहिद, उप नगर आयुक्त, नगर निगम बेतिया उपस्थित रहें।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी श्री एनामुल हक बेतिया नगर निगम के वार्ड संख्या–24 से वार्ड पार्षद निर्वाचित है। प्रतिवादी को कुल तीन संतान हैः– एक पुत्र एवं दो पुत्री। संतानों की संख्या में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा स्वयं अपने अभ्यर्थी **'बायोडाटा'** में तीन संतानों का उल्लेख किया गया है, परन्तु प्रतिवादी द्वारा अभ्यर्थी **'बायोडाटा'** के **प्रपत्र–'ग'** की कंडिका–09 में गलत सूचना अंकित की गयी है कि दिनांक–04.04.2008 के उपरांत उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रतिवादी को दिनांक–04.04.2008 के उपरांत एक संतान श्री अयानुल हक, जन्मतिथि–26.08.2011 प्राप्त है। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा प्रतिवादी के अभ्यर्थी **'बायोडाटा' प्रपत्र–'ग'** की कंडिका–08 एवं 09 का अवलोकन कराया गया। साथ ही साथ C.B.S.E. से मान्यता प्राप्त **'संत जेवियर्स'** उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेतिया, पश्चिम चंपारण के नामांकन पोर्टल के वेव कॉपी का अवलोकन कराया गया,

जिसमें अयानुल हक के पिता के रूप में एनामुल हक का नाम अंकित है तथा उस बच्चे की जन्मतिथि–26.08.2011 अंकित है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत अयोग्य थी, इसके बावजूद उनके द्वारा गलत सूचना एवं मिथ्या शपथ–पत्र के आधार पर निर्वाचन में भाग लिया गया तथा विजयी प्राप्त कर ली गई।

आगे उनके द्वारा प्रतिवादी की दो पुत्रियाँ **'संत जोसेफ'** स्कूल, बेतिया की छात्रा है, परन्तु उक्त विद्यालय द्वारा उनके जन्मतिथि को प्रदान करने से इन्कार कर दिया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उनका द्वितीय आरोप बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(l) के तहत है कि वार्ड सदस्य के रूप में प्रतिवादी निहित शक्तियों के दुरूपयोग के दोषी है, उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वह बोर्ड की बैठकों में व्यवधान डालते है तथा बैठकों में अनावश्यक हंगामा करते हैं, जिसके कारण कई बार बोर्ड की बैठकें स्थगित करनी पड़ती है, जिससे विकासात्मक कार्य प्रभावित होता है। अंत में उनके द्वारा प्रतिवादी को पदमुक्त करने का अनुरोध किया गया।

4. प्रतिवादी के द्वारा कभी भी कोई मौखिक प्रतिवादी या उत्तर/तर्क आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि उनकी ओर से विद्वान अधिवक्ता दिनांक–15.05.2025, दिनांक–25.09.2025, दिनांक–18.11.2025, दिनांक–23.12.2025, दिनांक–27.01.2026 एवं दिनांक–19.03.2026 को उपस्थित हुए। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित जवाब दायर किया गया है, जिसमें उनके द्वारा **रजनी कुमारी वाद** में माननीय उच्च्व न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा पारित आदेश एवं **सरयुग मोची वाद** में माननीय न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में इस तथ्य पर बल दिया गया है कि बच्चों की जन्मतिथि का निर्धारण Disputed Question of Fact है, जिसकी सुनवाई आयोग द्वारा नहीं की जा सकती।

उनके द्वारा अपने बचाव में अंकित किया है कि उनके पुत्र अयानुल हक की जन्मतिथि–26.08.2007 है, जो कि उनके राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन कार्ड पर भी अंकित है। अपने बचाव में उनके द्वारा नगर निगम बेतिया से निर्गत जन्म प्रमाण–पत्र, जो कि दिनांक–07.06.2022 को निर्गत है, भी संलग्न किया गया है, जिसमें प्रतिवादी की जन्मतिथि–26.08.2007 अंकित है। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा दो अन्य अभिलेख आधार कार्ड संख्या–2315 2990 0470 तथा अपार आई0डी0 संख्या–635621597511 भी संलग्न किया गया है, जिसपर उनके बच्चे की जन्मतिथि–26.08.2007 अंकित है।

5. **विचाराधीन वाद के जाँच–सह–सत्यापन पदाधिकारी के स्तर से अनावश्यक विलम्ब किये जाने तथा किसी स्पष्ट साक्ष्य आधारित निष्कर्षात्मक प्रतिवेदन को तैयार करने में अक्षमता के कारण पूर्व से समर्पित सभी अधूरे एवं अतार्किक प्रतिवेदनों के अस्वीकृति के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा**

अभिलेखों के सत्यापन हेतु Father Armstrong Edison, Principal St. Xavier Higher Secondary School, Bettiah. श्री रविन्द्र कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण एवं मो0 शाहिद, उप नगर आयुक्त, नगर निगम बेतिया तथा श्री सौरभ आलोक, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को मूल अभिलेखों एवं दस्तावेजों के साथ आयोग कार्यालय में प्राधिकृत किया गया।

सत्यापन में उपस्थित Father Armstrong Edison, Principal St. Xavier Higher Secondary School, Bettiah. द्वारा अयानुल हक से संबंधित सभी मूल अभिलेखों का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें Admission Form, Student Profile, School Leaving Certificate, Birth Certificate, UDISE+ Student Module, Transfer Certificate, Report Card(Class-VII-A) एवं Admission-Withdrawal register शामिल है। Admission Form पर प्रतिवादी एनामुल हक का हस्ताक्षर उपलब्ध है। ठीक इसी प्रकार Student Profile एवं प्रवेश– स्थानान्तरण पंजी पर भी प्रतिवादी एनामुल हक का हस्ताक्षर उपलब्ध है। उक्त सभी अभिलेखों में प्रतिवादी के पुत्र अयानुल हक की जन्मतिथि–26.08.2011 ही अंकित है। उक्त अभिलेखों में जन्म प्रमाण–पत्र संख्या–B2022:10-90005-001104, दिनांक–07.06.2022 में भी जन्मतिथि–26.08.2011 ही अंकित है।

उक्त सभी प्रमाण–पत्रों का सत्यापन जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण (बेतिया) द्वारा किया गया है।

उपस्थित प्रधानाचार्य द्वारा आयोग को बताया गया कि UDISE+ Student Module में उनके **'रेकर्ड'** के अनुसार जन्मतिथि–26.08.2011 ही अंकित है, परन्तु इस जन्मतिथि में परिवर्तन शिक्षा विभाग के सक्षम पदाधिकारियों के स्तर से किया जा सकता है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि APAAR I.D. स्वैच्छिक है। अतः जबतक माता–पिता की सहमति एवं बच्चे का आधार कार्ड प्राप्त नहीं होता, तबतक विद्यालय APAAR I.D. का निर्माण नहीं कर सकते। चूँकि जिस समय प्रतिवादी के पुत्र उनके विद्यालय में पढ़ रहे थे, उस समय उनकी सहमति एवं आधार कार्ड प्राप्त नहीं था, इसलिए APAAR I.D. उस समय Generate नहीं किया गया।

उपस्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा भी उक्त तथ्य पर सहमति व्यक्त की गयी तथा आयोग को बताया गया कि अभिभावकों के अनुरोध पर UDISE+ Student Module एवं APAAR I.D. में जन्मतिथि में परिवर्तन किया जाता है।

6. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा प्राधिकृत जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के सत्यापन प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत हैः–

"आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्री एनामुल हक (वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–24, नगर निगम, बेतिया, जिला–**पश्चिम चम्पारण**) द्वारा दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतानों के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत चुनाव पूर्व अयोग्यता होने के बावजूद गलत शपथ–पत्र एवं सूचना के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–24, नगर निगम, बेतिया, जिला–**पश्चिम चम्पारण** के पद पर निर्वाचित हो गए।

आयोग द्वारा यह पाया गया कि संतानों की संख्या के संबंध में वादी एवं प्रतिवादी एकमत हैं। प्रतिवादी द्वारा स्वयं अभ्यर्थी बायोडाटा में अपने संतानों की संख्या–03 (01 पुत्र एवं 02 पुत्री) घोषित की है। विवाद प्रतिवादी के संतानों के जन्मतिथि अर्थात् Cut of Date- 04.04.2008 के उपरांत जन्म लेने अथवा उसके पूर्व जन्म लेने को लेकर है।

वादी द्वारा उपलब्ध कराये गये, साक्ष्यों में एक साक्ष्य, जो प्रतिवादी के पुत्र अयानुल हक से संबंधित था, को सत्यापन के दौरान सही पाया गया। अयानुल हक की जन्मतिथि–26.08.20211 अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित हुई। ज्ञातव्य हो कि **'संत जेवियर्स'** उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेतिया, पश्चिम चंपारण C.B.S.E. से मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालय होते हैं तथा इसमें नामांकन के समय जितने भी अभिलेख दिये गये है, उन सब में प्रतिवादी श्री एनामुल हक द्वारा स्वयं हस्ताक्षर किया गया है। उल्लेखनीय है कि Self Admission को प्रमाणित करने के लिए किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। चूँकि अयानुल हक स्वयं प्रतिवादी एनामुल हक का अव्यस्क संतान है। अतः अभिभावक के रूप में एनामुल हक का हस्ताक्षर उसके प्रत्येक Credential के लिए एनामुल हक की स्वीकारोक्ति(Self Admission) है।

आयोग द्वारा प्रतिवादी के लिखित तर्कों/प्रतिवाद का भी संज्ञान लिया गया, परन्तु प्रतिवादी के तर्क/प्रतिवाद स्वीकार योग्य नहीं पाये गये। प्रतिवादी द्वारा प्रथम तर्क दिया गया है कि यह मामला Disputed Question of Facts **पर आधारित है। अतः आयोग इसकी सुनवाई नहीं कर सकता।**

उल्लेखनीय है कि स्वयं प्रतिवादी द्वारा रजनी कुमारी वाद को संदर्भित किया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 से आच्छादित मामलों की सुनवाई की अधिकारिता के संबंध में यह निर्णय पारित किया गया है कि आयोग उक्त धारा से आच्छादित मामलों की सुनवाई करने हेतु सक्षम प्राधिकार है। प्रतिवादी द्वारा संदर्भित सरयुग मोची वाद पर माननीय उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Absolute Stay **प्रदान किया गया है।**

आयोग द्वारा प्रतिवादी की तरफ से उपलब्ध कराये गये, साक्ष्यों का भी संज्ञान लिया गया। प्रतिवादी द्वारा नगर निगम बेतिया से निर्गत जन्म प्रमाण–पत्र संख्या–B2022:10-90005-001104, दिनांक–07.06.2022 को अपने बचाव में संलग्न किया गया है, जिसमें बच्चे की जन्मतिथि–26.08.2007 अंकित है। उल्लेखनीय है कि स्वयं प्रतिवादी एनामुल हक द्वारा जन्म प्रमाण–पत्र संख्या–B2022:10-90005-001104, दिनांक–07.06.2022 को **'संत जेवियर्स'** उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेतिया, पश्चिम चंपारण में जमा किया गया है, जिसमें जन्मतिथि–26.08.2011 अंकित है। दोनों जन्म प्रमाण–पत्र को प्रदान करने वाले स्वयं प्रतिवादी एनामुल हक है। अतः स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि एनामुल हक की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है। चूँकि यह जन्म प्रमाण–पत्र, दिनांक–07.06.2022 को निर्वाचन के ठीक पूर्व निर्गत कराया गया है, इससे इसको निर्गत कराये जाने की मंशा(Motive) स्वतः स्पष्ट है। यह भी आश्चर्यजनक है कि प्रतिवादी द्वारा इतनी सूक्ष्मता से धोखाधड़ी की जा रही है कि स्वयं जिला प्रशासन/ नगर निगम प्रशासन, बेतिया द्वारा भी सही एवं गलत प्रमाण–पत्र की पहचान में चूक कर गया। प्रतिवादी द्वारा अपने सुविधानुसार दो अलग–अलग जन्मतिथि वाला, परन्तु एक ही पंजीकरण संख्या वाला जन्म प्रमाण–पत्र तैयार किया है, जिसे अपनी सुविधानुसार शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन (निर्वाचन शाखा) को धोखा देने हेतु प्रयोग करते है।

उनके द्वारा दिये गये अन्य साक्ष्य भी स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड, APAAR I.D., मतदाता पहचान–पत्र आदि की जन्मतिथियाँ स्वघोषणा पर आधारित है एवं साक्ष्यों से यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी अपनी सुविधानुसार इनमें अंकित जन्मतिथियों में परिवर्तन कराते है। अतः इन अभिलेखों की मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है तथा उनके द्वारा स्वयं अंकित किये गये, जन्मतिथि को Disputed बनाने हेतु Back dating एवं तकनीक का सहारा लेकर हू–ब–हू अभिलेखों की Cloning की जा रही है। अतः प्रतिवादी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि मामला Disputed Question of Facts पर आधारित है, बल्कि यह मामला Self Admission से संबंधित अभिलेखीय साक्ष्यों पर आधारित है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्री एनामुल हक को दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान रहने के कारण चुनाव पूर्व अयोग्यता का धारण संवीक्षा की तिथि को करते थे, इसके बावजूद वे तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ–पत्र एवं अंतिम संतान के गलत जन्म प्रमाण–पत्र के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–24, नगर निगम बेतिया, जिला–पश्चिम चम्पारण के पद पर निर्वाचित होने में कामयाब

रहें। इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के कारण प्रतिवादी श्री एनामुल हक को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) सहपठित धारा–18(2) तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अयोग्य/निरर्हित घोषित करते हुए, तत्काल प्रभाव से वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–24, नगर निगम, बेतिया, जिला–पश्चिम चम्पारण के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–24, नगर निगम, बेतिया, जिला–पश्चिम चम्पारण का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) जिला पदाधिकारी पश्चिम चम्पारण, श्री एनामुल हक के विरूद्ध गलत हलफनामा एवं तथ्य छुपाने हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–447 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के रूप में प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत भी कार्रवाई सुनिश्चित करायेगें।

(ग) जिला पदाधिकारी पश्चिम चम्पारण को यह आदेश दिया जाता है कि मामले में स्पष्ट साक्ष्य होने के बावजूद सत्यापन प्रतिवेदन तथा तथ्यात्मक रूप से सही प्रतिवेदन उपलब्ध कराने में अनावश्यक रूप से विलम्ब करने वाले जाँच पदाधिकारी से उक्त आशय का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए तथा मंतव्य सहित प्रतिवेदन दो सप्ताह में आयोग को उपलब्ध कराया जाए, ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
15.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
15.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–04/2025 1554 पटना, दिनांक–15.4.20

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/4/26
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–04/2025 1554 पटना, दिनांक–15.4.26

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **पश्चिम चम्पारण**/ जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **पश्चिम चम्पारण(बेतिया)** सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **पश्चिम चम्पारण(बेतिया)** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

15/4/26
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–04 / 2025 1554 पटना, दिनांक– 15.4.26

प्रतिलिपि–श्रीमती जेबा जबी, पति–श्री नौसाद अहमद, पता–वार्ड संख्या–13, लिबर्टी सिनेमा के नजदीक, बेतिया नगर निगम, पोस्ट–बेतिया, थाना–बेतिया टाउन, **जिला–पश्चिम चम्पारण** एवं श्री एनामुल हक, पिता–स्व0 मिसबाहुल हक, पता–वार्ड संख्या–24, बेतिया नगर निगम, पोस्ट–बेतिया, थाना–बेतिया टाउन, **जिला–पश्चिम चम्पारण(पदमुक्त वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–24, नगर निगम, बेतिया)** को सूचनार्थ प्रेषित।

15/4/26

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–04 / 2025 1554 पटना, दिनांक– 15.4.26

प्रतिलिपि–श्रीमती प्रीति कुमारी / श्री वैष्णो कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी / श्री संजीव कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, (निर्वाचन शाखा) / श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर / राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/4/26

विशेष कार्य पदाधिकारी